भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3503

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मामले

†**3503. डॉ. रानी श्रीकुमारः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) की वर्तमान में व्याप्तता, मृत्यु दर और रुझानों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तंबाकू का सेवन, बायोमास ईंधन से होने वाला आंतरिक वायु प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण, व्यावसायिक जोखिम और कोविड-पश्चात जटिलताओं जैसे कारकों ने ऐसी बीमारियों की बढ़ती घटनाओं में योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देशभर में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा स्तरों पर सीओपीडी प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना सुनिश्चित की गई है, जिसमें स्पाइरोमेट्री जैसी नैदानिक सुविधाएं, श्वसन तंत्र संबंधी उपचार सेवाएं, आवश्यक इनहेलर/दवाओं की उपलब्धता और ऑक्सीजन संबंधी सहायता शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा सीओपीडी के प्रभावी प्रबंधन के लिए शीघ्र निदान, सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग, जन जागरूकता, रोकथाम रणनीतियों और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण को मजबूत करने हेतु उठाए गए / उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सीओपीडी से संबंधित रुग्णता, मृत्यु दर और रोगियों तथा परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों, दिशानिर्देशों, बजटीय सहायता और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालाँकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अंतर आकलन के आधार पर

राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों के लिए बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन का सुदृढ़ीकरण करता है। एनपी-एनसीडी के अंतर्गत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 364 जिला डे केयर केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते भार को देखते हुए, सरकार ने एनपी-एनसीडी के अंतर्गत प्राथमिकता वाली बीमारियों में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को शामिल किया है। विभिन्न जोखिम कारक जैसे तंबाकू का सेवन, बायोमास ईंधन से होने वाला अंतरंग प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण, एलर्जी कारक, व्यावसायिक जोखिम, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और मोटापा सीओपीडी को बढ़ाते हैं।

इसके अतिरिक्त, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच और रोकथाम के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है, जिसमें 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की जांच की जाती है। जांच और निवारक सेवाएं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशाकर्मी), सहायक नर्स मिडवाइव्ज (एएनएम), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आशाकर्मी सामुदायिक आधारित मूल्यांकन जांच बिंदु (सीबीएसी) का उपयोग करके जोखिम का मूल्यांकन करते हैं और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को आगे की जांच और प्रबंधन के लिए रेफर करते हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से रोकथाम और प्रोत्साहन संबंधी पहलुओं को मजबूत किया जाता है, जो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों, जीवनशैली में बदलाव और लक्षित संप्रेषण को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवसों के आयोजन और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाये गये फिट इंडिया अभियान और आयुष मंत्रालय द्वारा योग संबंधी कार्यकलाप जैसी पहलें भी सीओपीडी सहित गैर-संचारी रोगों की रोकथाम में योगदान देते हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अंतर्गत एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह सीओपीडी प्रोटोकॉल संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करता है और एनपी-एनसीडी के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या

प्रदाताओं की क्षमता निर्माण में सहायता करता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नैदानिक प्रबंधन और कार्यक्रम कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राज्य और जिला एनसीडी टीमों के लिए नियमित वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।
